किया गया था कि अनुसूचियों में एक-रूपता लाई जा सके और अन्तर-राज्य भिन्नता, जिसका गैर-कानूनी रूप से प्राप्त वन्यजीव उत्पादों के वैध ठहराने में चोरी छिपे शिकार करने वालों और बेईमान कर्मचारियों ने लाभ उठाया, को समाप्त किया जा सके, तथापि, वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम की धारा 29 राज्य सरकारों से कोई शक्ति वापस लेने से सम्बन्धित नहीं है।

(ग) से (च) देश में वन्यजीवों के वास-स्थलों का पिछले कई वर्षों से, न केवल स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बल्कि वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए भी वनों के अति दोहन के कारण गंभीर रूप से अतिक्रमण हुआ है। वन्यजीव (सुरक्षा) संशोधन अधिनियम में यह व्यवस्था है कि किसी अभयारण्य में किसी प्रकार का दोहन केवल तभी किया जा सकता जब राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा करना अभयारण्य में वन्यजीवों के सुधार और बेहतर प्रबन्ध के हित में है। इससे जीन-पूलों सहित मृदा और जल संरक्षण और जैव-विविधता संरक्षण जैसी पारि-प्रणाली की जीवन-सहायक प्रक्रियाओं, जो स्वयं मानव जाति के सतत अस्तित्व के लिए अत्यन्त महत्व-पूर्ण हैं, का अनुरक्षण सुनिश्चित होगा। अति-दोहन की समाप्ति भविष्य में स्थानीय लोगों, विशेषकर आदिवासियों, के लिए लाभादयक सिद्ध होगी।

स्थानीय लोगों के सतत् विकास और उसके जीवनस्तर में सुधार के लिए इस वर्ष "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों में और उसके आस-पास के क्षेत्रों का पारि-विकास" नामक एक नई स्कीम शुरू की गई है। प्रकृति के संरक्षण की अन्य केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों में भी स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नये अवसरों की व्यवस्था है।

मध्य प्रदेश की लंबित परियोजनाएं

3522. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की उन परियोज-नाओं की संख्या कितनी है जो वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अधीन स्वीकृति प्राप्त किए जाने के लिए 1 जनवरी, 1992 तक भारत सरकार के पास लंबित थीं ;

(ख) वर्ष 1991 के दौरान कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई; और

(ग) अन्य परियोजनाओं को मंजूरी न दिए जाने के क्या कारण हैं और उन्हें कब तक मंजूरी प्रदान कर दी जायेगी ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंगराजन कुमारमंगलम) : (क) मध्य प्रदेश से संबंधित वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत केन्द्रीय सरकार के पास 1-1-1992 को 62 प्रस्ताव लम्बित थे।

(ख) कैलेण्डर वर्ष 1991 के दौरान, मध्य प्रदेश से संबंधित 12 प्रस्तावों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मंजूरी दी गई है।

(ग) 1-1-1992 को लम्बित 62 प्रस्तावों में से 40 प्रस्ताव इस मंत्रालय में जांच अधीन थे और 22 प्रस्ताव राज्य सरकार से मांगे गए अनिवार्य ब्यौरों के कारण लम्बित थे। राज्य सरकार से मांगी गई सूचना के प्राप्त होने के पश्चात् अंतिम निर्णय के लिए प्रस्ताव पर शीघ्र कार्रवाई की जाती है।

Environmental clearance for converting reserve Forest Land

3523. SHRI E. BALANANDAN : Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state :

(a) whether Government have given environmental clearance for

converting reserved forest land for non-forest uses for the purpose of granting title deeds to those who have inhabited before the cut-off year ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not the resons therefor and the present position of the process of granting title deeds ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIA MENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RANGARAJAN KUMARA-MANGALAM) : (a) Approval for diversion of forest land for regularisation of pre-1980 encroachments in Kerala has not been accorded by the Central Government under the Forest (Conservation) Act 1980.

(b) Does not arise.

(c) Certain essential details sought from the State Government on 15-1-1922 are yet to be received.

Aluminium phosphide poisoning

3524. SHRI VIREN J. SHAH : Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a study conducted by the doctors of the All India Institute of Medical Sciences showed that there were widespread aluminium phosphide poisoning cases in North India ;

(b) the number of aluminium phosphide poisoning cases in each State during the last three years and the extent of compensation paid to the victims • and

(c) what steps Government have taken to warn the peoplelto be aware of it ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI D.K. THARA DEVI SIDDHARTHA) : (a) Yes Sir.

(b) Ministry of Health & Family Welfare does not maintain such statistics. However, All India Insti tute of Medical Sciences has informed that 54 such cases were admitted in the Institute during 1988, 1989 and 1990. A statement *{see* below) showing the number of pesticide poisoning cases (State-wise) during the last three years, as received from the Ministry of Agriculture, is at the enclosed Annexure.

(c) The Government have taken several steps to educate people on the safe handling and usage of various pcsictides. These are :—

1. Training of people to create awareness about the hazardous effects of pesticides and precautions to be observed while handling and using pesticides through multi-educational media systems like T.V. Radio Literatures, Demonstrations, etc.

2. Detailed instructions about handling, usage and safety precautions are given on the labels and leaflets accompanying pesticides container.

3. These instructions also include information on symptoms of poisoning, first aid measures, treatment, etc. to be given in case of accidental poisoning.